न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/22

1. राधेश्याम आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ ।
2. सुरेन्द्र आत्मज राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ ।
3. सोन्या आत्मज राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ ।
4. मोटा आत्मज राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. किशना उर्फ किशन लाल आत्मज मूलचन्द जाति खटीक निवासी ग्राम नयागॉव (पापडी) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवासी 1458 अकेलगढ टंकी के पास वार्ड नं0 06 शिवपुरा कोटा ।
2. रघुनन्दन आत्मज नामालूम जाति मीणा निवासी ग्राम गरजनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेश चन्द वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 12.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 176 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 694 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 775 रकबा 1.05 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 2.03 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि सीलिंग आवंटन नियमों के अनुसार सन् 1977 में प्रार्थी को आवंटन हुई थी और आवंटन के बाद उक्त भूमि प्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज कर

दी गई । अप्रार्थीगण प्रार्थी से रंजिश रखते हैं और जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं । प्रार्थी वृद्ध गरीब व अनसूचित जाति का व्यक्ति है । अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे व प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि पर पक्की बाउन्ड्रीब वॉल का निर्माण न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 से 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा है । अपीलान्ट ने अपने कब्जे बाबत् पिलाई की रसीद संवत् 2061 से 2070 तक व लगान की रसीद संवत् 2071 की प्रस्तुत की थी जिनसे साबित था कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अपीलान्ट का कब्जा है । कब्जाधारी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई आदेश काननून पारित नहीं किया जा सकता । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2016 को पेश किया । नकल दिनांक 17.11.2016 को प्राप्त हुई । उसके पश्चात् अपीलान्टगण काश्तकारी कार्य में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके । दिनांक 02.01.2017 को अपीलान्टगण बून्दी आये और अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवायी और बिना किसी देरी के उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया और यह कथन किया कि उनके गैर खातेदारी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पापडी तहसील, इन्द्रगढ में स्थित है जिस पर अपीलान्ट अप्रार्थीगण कब्जा करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है । धारा 212 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के लिए आवेदन की दिनांक को वाद–विषयक आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होना आश्वयक होता है । केवल रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है अपने कब्जे के समर्थन में अपीलान्ट ने संवत् 2061 से 2070 तक व रसीद सम्वत् 2071 की प्रस्तुत की गई थीं फिर भी अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कब्जा मानकर त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट ने जो रसीदें पेश की हैं वो प्रार्थना पत्र एवं दावा दायरी से पूर्व की हैं । रेस्पोडेन्ट का दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेनेबल नहीं है । उन्हें बेदखली का दावा पेश करना चाहिए था । दावा दायरी एवं प्रार्थना पत्र पेश होने के दिनांक को कब्जा नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2002 पेज 107, आरएलडब्ल्यू 2008 (1) (एससी) पेज 239, आरएलडब्ल्यू 2003 (1) पेज 65, डीएनजे 2014 (3) पेज 1070, आरएलडब्ल्यू 2011 (1) पेज 680 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के पेश किया है जिसका जवाब अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है ।

11. पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068 –71 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट ने कुछ खसरा गिरदावरी की नकलें भी पेश की हैं जिनमें वादग्रस्त आराजी पर फसल किया जाना अंकित है । पत्रावली पर कुछ लगान की रसीदों की फोटो प्रतियॉ भी पेश की गई हैं इसमें से 2006–07 की लगान की रसीदें प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश की गई थी और कुछ लगान की रसीदें जो दिनांक 21.01.2015, 22.05.2015 की हैं अपीलान्टगण के द्वारा पेश की गई हैं ।

12. वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य हैं । अपीलान्ट अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं और उनका यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता की कृषि भूमि थी । रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के अनुसार यह आराजी सीलिंग सरप्लस होने के उपरान्त उनको आवंटन की गई थी । अपीलान्टगण के द्वारा ऐसा कोई

दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके अनुसार सीलिंग की उस कार्यवाही के खिलाफ कोई अपील पेश की गई हो एवं निर्णय पारित किया गया हो । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के गैर खातेदारी में दर्ज है और उनके द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है ।

13. अपीलान्ट ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा संदेह से परे प्रमाणित हो । जहॉ तक रसीदात का प्रश्न है कुछ रसीदें अपीलान्ट ने पेश की हैं व कुछ रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने पेश की हैं । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के गैर खातेदार हैं । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में तय पायी गई हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2016 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा